



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-12062026-273380
CG-KA-E-12062026-273380

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2858]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2858]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

रेल मंत्रालय
[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना
बेंगलुरु, 8 जून, 2026

का.आ. 2952(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) की धारा 20एफ के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलक (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' रूप में इस अधिसूचना के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है, नीचे दी गई तालिका के क्र.सं.(3) में उल्लिखित जिले से संबंधित क्र.सं. (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हैं।

तालिका

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	ज़िला	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बल्लारी और चिकजाजुर स्टेशनों के बीच डबल लाइन का निर्माण (185 किमी)	अनंतपुर	संयुक्त सचिव, अनंतपुरम

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा /2026-27/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Western Railway (Construction Organisation)]****NOTIFICATION**

Bengaluru, the 8th June, 2026

S.O. 2952(E).— In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to the district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sl. No.	Name of Project	District	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Construction of Double Line between Ballari - Chikjajur stations (185 Km)	Anantapuram	Joint Secretary, Anantapuram

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction